न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी :: श्री दिनेश चन्द जैन, आई.ए.एस.

राजस्व विविध :: 86/2018

प्रार्थी :— सरकार जरिये तहसीलदार रोहट

बनाम

अप्रार्थीः—

1. भाना पुत्र राम जाति भील निवासी बाण्डाई के कायम मुकाम
   1/1 मोहन पुत्र भाना
   1/2 किशना पुत्र भाना
   1/3 प्रभु पुत्र भाना
   1/4 गोपा पुत्र भाना
   1/5 इन्द्रा पत्नी सांवत भील, निवासी मुकनपुरा तहसील रोहट

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :—

1. प्रार्थी के ओर से सरकारी पैरोकार
2. अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 व 1/4 की ओर से अधिवक्ता श्री झुंझाराम परमार उपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक : 17-2-20

प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) रोहट द्वारा यह प्रार्थना पत्र याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत ग्राम मुकनपुरा, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट के खसरा नम्बर 49/1 रकबा 10.00 बीघा किस्म गै.मु. वाला का नियम विरूद्ध किए गए आवंटन को निरस्त करने के लिए माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरन्स प्रेषित करने हेतु प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1/3 व 1/5 बावजूद नोटिस तामील के आज अनुपस्थित होने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करने हेतु बहस सरकारी पैरोकार एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 व 1/4 की बहस सुनी गई।

सरकारी पैराकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम मुकनपुरा, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली के ख.न. 49/1 किस्म गै.मु. वाला का अप्रार्थी संख्या 1 के नाम आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 17.06.1972 के द्वारा आवंटित की गई। जिसकी पालना में अप्रार्थी भाना पुत्र रामा को जरिये नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 09.04.1975 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं इसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 206 को खातेदार दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी संख्या 1 के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान को जरिये नामान्तरकरण 424 के द्वारा दर्ज किया गया। उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालनार्थ माननीय

जिला कलेक्टर, पाली

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रश्नगत आराजी की भूमि के आवंटन आदेश के साथ ही उससे संदर्भित नामान्तरकरणो को भी निरस्त करवाने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1, 1/2 व 1/4 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में किया गया आवंटन विधि अनुसार है, उक्त आराजी पर भाना पुत्र रामा का उसके जीवनकाल में कब्जा काश्त रहा है तथा उसके देहान्त के पश्चात उसके वारिसान का कब्जा काश्त कायम है। जैर प्रार्थना पत्र आराजी न तो वक्त आवंटन ही मौके पर गै0मु0 वाला थी न आज भी है। तथा जैर प्रार्थना पत्र आराजी को अप्रार्थीगण ने काबिल काश्त बनाया है तथा अप्रार्थीगण के जीविकोपार्जन का एक मात्र सहारा है। उक्त भूमि अब्दुल रहमान के प्रकरण से प्रभावित नही होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम मुकनपुरा, पटवार हल्का बाण्डाई तहसील रोहट जिला पाली के ख.न. 49/1 किस्म गै.मु. वाला का अप्रार्थी स्व. भाना पुत्र रामा के नाम आवंटन कमेटी के आदेश दिनांक 17.06.1972 के द्वारा आवंटित की गई। जिसकी पालना में अप्रार्थी भाना पुत्र रामा को जरिये नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 09.04.1975 के द्वारा गैर खातेदार दर्ज किया गया एवं इसके पश्चात जरिये नामान्तरकरण संख्या 206 को खातेदार दर्ज किया गया तथा अप्रार्थी भाना के देहान्त के पश्चात उनके वारिसान को जरिये नामान्तरकरण 424 के द्वारा दर्ज किया गया। वक्त आवंटन जैर प्रार्थना पत्र आराजी गैर मुमकिन वाला दर्ज थी, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हक में किया गया आवंटन विधि विरूद्ध होने से स्पष्टतया खारिज योग्य है। पत्रावली में प्रस्तुत भूमि के फोटोग्राफ से स्पष्ट दृष्टीगोचर होता है कि भूमि पर काश्त नही की गई है तथा अप्रार्थीगण द्वारा कब्जा काश्त नही किया गया है। न ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने कथनो की ताईद में कब्जा काश्त सिद्व करने बाबत गिरदावरी की नकलें ही पेश की गई है जिसमें अप्रार्थीगण का काश्त होना सिद्व हो। इसके साथ ही जैर प्रार्थना पत्र आराजी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 से भी पूर्णतः प्रभावित होने से आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश कमांक 371 दिनांक 17.06.1972 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 09.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 206 व 424 को कायम रखा जाना विधि सम्मत नहीं है।

उपरोक्त तथ्यो के आधार पर तहसीलदार, रोहट द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 भाना पुत्र रामा जाति भील निवासी बाण्डाई तहसील रोहट पाली (राज.) के पक्ष में आवंटन कमेटी के आदेश कमांक 371 दिनांक 17.06.1972 के द्वारा किया गया आवंटन एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 73 दिनांक 09.04.1975 एवं इसके पश्चातवर्ती नामान्तरकरण संख्या 206 व 424 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी को सरकारी खाते में पुनः गै0मु0 वाला दर्ज करवाने का आदेश प्रदान करावें।

(दिनेश चन्द जैन)
जिला कलेक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली